(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–I, खण्ड–1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन

सार्वजनिक सूचना सं0 45 / 2015–2020
नई दिल्ली, दिनांक: 15 नवम्बर, 2018

विषयः– प्रक्रिया पुस्तक 2015–2020 के पैरा 2.54 में संशोधन।

विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक (2015–2020) के पैरा 2.54 के उप–पैरा (v) (ii) में संशोधन करते हैं तथा रेडिएशन पोर्टल मॉनीटरों और कंटेनर स्कैनरों को अधिष्ठापित और प्रचालित करने की समय सीमा को 31.03.2019 तक आगे बढाते हैं। तदनुसार संशोधित पैरा 2.54 को निम्नानुसार पढा जाएगा:–

पैरा 2.54 का संशोधित उप–पैरा (v) (ii)

मौजूदा नामोदि्दष्ट समुद्री पत्तन नामतः चेन्नई, कोचिन, इन्नोर, जेएनपीटी, कांडला, मुरगांव, मुम्बई, न्यू मंगलोर, पारादीप, तुतीकोरिन, विशाखापत्तनम, पिपाव, मुन्द्रा और कोलकाता को 31 मार्च, 2019 तक अखंडित स्क्रैप के आयात के लिए अनुमति होगी और तब तक उन्हें रेडिएशन पोर्टल मानीटरों और कंटेनर स्कैनरों को अधिष्ठापित और प्रचालित करना होगा। ऐसे समुद्री पत्तनों जो समय–सीमा का पालन नहीं करते हैं, की 01.04.2019 से अखंडित धात्विक स्क्रैप के आयात के प्रयोजन हेतु मान्यता रद्द कर दी जाएगी।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः नामोदि्दष्ट पत्तनों में रेडिएशन पोर्टल मानीटरों और कंटेनर स्कैनरों के अधिष्ठापन और प्रचालन की अवधि 31.03.2019 तक आगे बढ़ायी जाती है।

(आलोक वर्धन चतुर्वेदी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

[फा० सं० 01/89/180/53/एएम–01/पीसी–2 (ख)/ई–2382 से जारी]